

पत्रांक : सम्बद्धता/2024/05/ 5192

दिनांक : 07/05/2024.

आवश्यक/महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक

समस्त महाविद्यालय

सम्बद्ध- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009

विषय- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु संशोधित समय-सारिणी के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 835/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 03.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत् है-

क्र0	कार्यवाही	संशोधित समय-सीमा (646/सत्तर-01.04.2024)
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	---
2	विश्वविद्यालय से आनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 10 मई, 2024 तक।
3	अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 20 मई, 2024 तक।
4	आनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वार लिए निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 22 मई, 2024 तक।
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 25 मई, 2024 तक।
6	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 05 जून, 2024 तक। 1. अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 31 मई, 2024 तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। 2. तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2024 तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 25 जून, 2024 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आनलाइन प्रदान करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 05 जुलाई, 2024 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 जुलाई, 2024 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 25 जुलाई, 2024 तक।

अतः समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु निर्धारित संशोधित समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

(प्रो0 शान्तनु रस्तोगी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी, गोरखपुर/देवरिया/कुशीनगर को इस आशय से सूचित कि शासन द्वारा निर्धारित संशोधित समय-सारिणी के अनुसार अनापत्ति प्रस्तावों का निस्तारण आनलाइन कराने का कष्ट करें।
- 2 विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
- 4 समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
- 5 प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 6 वैय0 सहायक कुलसचिव।


कुलसचिव